

1/8/19

प्रायों के आविष्कार एवं प्रायों स्वयं अनुप्रासित। आज उन्हें  
अदालत उठने तक बार बार आवेजे लगावाइ गई परन्तु  
प्रायों की उर से कोई अदालत उपस्थित नही आता  
इस प्रकार अदालत केरवी अदालत हाजिरी में खारिज  
किया जाता है। मिसल कैसल शुमार होकर नम्बर  
से कम हो। बाद फफवर दाखिल हो।  
आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)  
उपस्थित अधिकारी  
न्यायालय (अदालत) राज.

